पं. रविशंकर शुक्ल विश्वविद्यालय, रायपुर (छ.ग.)

क्रमांकः 3852 /अका./2015 रायपुर, दिनांकः 18/06/2015

प्रति,

1. **अध्यक्ष,**
   समस्त अध्ययनशाला,
2. **प्राचार्य,**
   सम्बद्ध समस्त महाविद्यालय,
   पं. रविशंकर शुक्ल विश्वविद्यालय,
   रायपुर (छ.ग.)

विषय :- सार्वजनिक सूचना- दूर शिक्षा पाठ्यक्रम के संबंध में।
संदर्भ :- वि.वि. अनुदान आयोग का पत्र क्र. मि.सं. 11-5/2005 (डी.ई.बी.-III) दिनांक 04 जून, 2015

= = 0 = =

विषयांतर्गत के संबंध में विश्वविद्यालय अनुदान आयोग का पत्र क्र. मि.सं. 11-5/2005 (डी.ई.बी.-III) दिनांक 04 जून, 2015 आवश्यक कार्यवाही हेतु संलग्न कर आपकी ओर अग्रेषित।

संलग्न : उपरोक्तानुसार।

आदेशानुसार,

कुलसचिव

पृ. क्रमांकः 3853/अका./2015 रायपुर, दिनांकः 18/06/2015

प्रतिलिपि :

कुलपति के सचिव/कुलसचिव के निजी सहायक, पं. रविशंकर शुक्ल विश्वविद्यालय, रायपुर को सूचनार्थ एवं आवश्यक कार्यवाही हेतु अग्रेषित।

उप कुलसचिव (अका.)

23236351, 23232701, 23237721, 23234116
23235733, 23232317, 23236735, 23239437

ज्ञान–विज्ञान विमुक्तये

विश्वविद्यालय अनुदान आयोग
बहादुरशाह जफर मार्ग
नई दिल्ली–110002
UNIVERSITY GRANTS COMMISSION
Bahadur shah Zafar Marg
New Delhi-110002

Recd
18/6/15

सार्वजनिक सूचना– दूर शिक्षा पाठ्यक्रम

फा. सं. 11–5/2015 (डी0 ई0 बी0–III)

04 जून, 2015

विश्वविद्यालय अनुदान आयोग के संज्ञान में यह तथ्य आया है कि कुछ विश्वविद्यालय/मानित विश्वविद्यालय मुक्त एवं दूर शिक्षा (ओ0डी0एल0) प्रविधि के माध्यम से पाठ्यक्रम प्रस्तुत कर रहे हैं जो पूर्व में विद्यमान दूर शिक्षा केन्द्रों/यू0जी0सी0 की नीतियों का सम्पूर्णतः उल्लंघन है। ऐसे विश्वविद्यालय/मानित विश्वविद्यालय भ्रामक विज्ञापन जारी कर रहे हैं कि उनके पाठ्यक्रम यू0जी0सी0 द्वारा मान्यता प्राप्त हैं।

वर्तमान नीति के अनुसार, राज्य विश्वविद्यालय (सार्वजनिक एवं निजी दोनों ही) अपने दूरस्थ परिसर/अध्ययन केन्द्र उस राज्य के बाहर के क्षेत्र में स्थापित नहीं कर सकते हैं– जहाँ पर वे विश्वविद्यालय स्थित हैं एवं, यहाँ तक कि, कि उस राज्य की सीमा के भीतर अपने अध्ययन केन्द्र/दूरस्थ परिसर स्थापित करने के लिए भी ऐसे निजि विश्वविद्यालय को यू0जी0सी0 की पूर्वानुमति प्राप्त करना आवश्यक है। यह बात विशेष रुप से प्रासंगिक है कि इंजीनियरिग एवं प्रौद्योगिकी की मुक्त एवं दूर शिक्षा प्रणाली (ओ0डी0एल0) प्रविधि के अन्तर्गत डिप्लोमा/स्नातक/स्नातकोत्तर पाठ्यक्रमों को प्रस्तुत करने के लिए किसी भी विश्वविद्यालय/संस्थान को अनुमति नहीं है। जहाँ तक क्षेत्रगत परिधि एवं दूरस्थ परिसरों/अध्ययन केन्द्रों के संबंध में यू0जी0सी0 की नीति है तो यह नीति स्पष्ट रुप से, जनसाधाराण की जानकारी हेतु, यू0जी0सी0 वेबसाइट पर दिनांक 27.06.2013 को सूचना द्वारा निर्दिष्ट की जा चुकी है। यह बात भी नोट की जाए कि अभी तक यू0जी0सी0 ने किसी भी विश्वविद्यालय/संस्थान को "ऑनलाइन" पाठ्यक्रम प्रस्तुत करने के लिए कोई मान्यता प्रदान नहीं की है।

छात्रों, उनके अभिभावकों एवं सामान्य जनसाधाराण को एतद् द्वारा सूचित किया जाता है कि ऐसे मान्यता प्राप्त संस्थानों का सूची, (उनके पाठ्यक्रमों सहित), जिन्हें ओ0डी0एल0 प्रविधि द्वारा पाठ्यक्रम प्रस्तुत करने की अनुमति है, वह सूची यू0जी0सी0 वेबसाइट पर दर्शायी गई है तथा उसे www.ugc.ac.in/deb से प्राप्त की जा सकती है। किसी भी उच्च अधिगम के गैर मान्यता प्राप्त संस्थान से ओ0डी0एल0 प्रविधि द्वारा प्राप्त की गई योग्यताएँ ना तो सरकारी सेवाओं में रोजगार हेतु तथा ना ही उच्चतर शिक्षा अनुसरण करने के लिए मान्य होगी।

भवदीय,

(जसपाल सिंह सन्धु)
सचिव यू0जी0सी0

पं.रविशंकर शुक्ल विश्वविद्यालय, रायपुर (छ.ग.)

माननीय कुलपति महोदय का तिथिवार कार्यक्रम

दिन/दिनांक	समय	विवरण
सोमवार, 15 जून 2015	10.30 बजे	कुलपति निवास से कार्यालय आगमन।
	04.00 बजे	विभागाध्यक्षों की बैठक – कुलपति कक्ष

माननीय कुलपति महोदय के वाहन में निम्नानुसार वाहन चालकों की ड्यूटी लगायी गई है :–

दिनांक	वाहन चालक का नाम	समय
16.06.2015	श्री रामविशाल	प्रातः 06.00 बजे से दोपहर 02.00 बजे तक
16.06.2015	श्री कृष्ण कुमार ध्रुव	दोपहर 02.00 बजे से रात्रि 10.00 बजे तक